

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 244/2021 (धारा 14 सिक्वोरिटाईजेशन)
आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड, पता-तृतीय तल, जै एस ई एल बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय बैंक

बनाम

1. श्री राहुल शर्मा पुत्र श्री दामोदर प्रसाद शर्मा
2. श्रीमती मीरा शर्मा
पता :- प्लेट नम्बर 502, पांचवा पलोर, गुरुप्रज्ञा सुमेरू, प्लॉट नम्बर 7, ग्रीन त्रिवेणी रेजिडेन्सीयल स्कीम, सीकर रोड, जयपुर।
एवं वाटर टैंक के पास, गांव व पोस्ट जसवंतगढ़, जिला नागौर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 09.06.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.07.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मीरा शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नम्बर 502, पांचवा तल, गुरुप्रज्ञा सुमेरू, प्लॉट नम्बर 7, ग्रीन त्रिवेणी रेजिडेन्सीयल स्कीम, सीकर रोड, जयपुर कुल क्षेत्रफल 1892 वर्गफिट को बन्धक रख कर राशि 47,91,655/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.11.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय बैंक ने The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिकृतों को मौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मतीमाति अवलोकन किया गया।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्राधीगणों को राशि 47,91,655/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्राधीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्राधीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से विद्यमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मग ब्याज कुल राशि रूपये 41,57,223/-रूपये जमा कराने हेतु अप्राधीगण को दिनांक 30.11.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्राधीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्राधीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्राधी श्रीमती मीरा शर्मा, के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर 502, पांचवा तल, गुरुप्रज्ञा सुमेरू, प्लॉट नम्बर 7, ग्रीन त्रिवेणी रेजिडेन्सीयल स्कीम, सीकर रोड, जयपुर कुल क्षेत्रफल 1892 वर्गफीट है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर यागीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।



(Signature)
 (राजेश विशाल)
 जिला मजिस्ट्रेट
 (कलक्टर) जयपुर